अनुसूची घ —फारमं सं०—

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, घ॰ घ का नियम घहा॰)

आदेश पत्रक — ता०..से..तक

जिला..., सं०..., सन् घ॰...................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर घ	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **सेवा अपील वाद संख्याः 231/2012** मो0 रसीद --- अपीलार्थी वनाम राज्य एवं अन्य --- रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण –:आदेशः– प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.12ई0 विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स दाखिल किया गया है । संक्षेप में मामला यह है कि कार्यालय आदेश ज्ञापांक 37–2/जि0प0 दिनांक 18.02.2010 द्वारा प्रखंड राधोपुर अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द संख्या–55 राम एवं पासवान टोला, पंचायत मोतीपुर में ऑगनबाड़ी सेविका के चयन प्रकिया में सरकार के निदेश का उल्लंधन एवं पद का दुरूपयोग करने, स्थानान्मतरण के पश्चात मो0 रसीद पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत मोतीपुर का प्रभार आज तक इनके द्वारा नहीं दिया गया जिस कारण ग्राम पंचायत का कार्य बाधित है जो स्वेच्छाचारित का द्योतक है के आरोप में मो0 रसीद पंचायत सचिव, प्रखंड राधोपुर को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ,राधोपुर से आरोपी मो0 रसीद के विरूद्ध आरोप पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर के माध्यम से मॉग की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर के पत्रांक 1345–2/सपत्र दिनांक 21.06.10 से मो0 रसीद ,पंचायत सचिव प्रखंड–राधोपुर मुख्यालय प्रखंड निर्मली के विरूद्व आरोप पत्र (प्रपत्र–क) साक्ष्य के साथ प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के आलोक में आरोपी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक 332–2/जि0 प0 ,सुपौल दिनांक 29.07.2010 से अनुमंडल पदाधिकारी ,वीरपुर को सचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी ,राधोपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर –सह– संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 212–2 दिनांक 02.09.11 द्वारा उक्त पंचायत सचिव के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालन कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 1353–2 दिनाक 04.12.11 से अपीलार्थी मो0 रसीद से द्वितीय कारण पृच्छा सात दिनों	

के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया वो उक्त पत्र के आलोक में अपीलार्थी मो0 रसीद द्वारा दिनांक 22.12.2011 को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान मो0 रसीद पंचायत सचिव के विरूद्ध गठित आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया अतएवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में मो0 रसीद पंचायत सचिव से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त किया गया वो जिला पदाधिकारी द्वारा मो0 रसीद द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा , संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षोपरान्त आरोपी मो0 रसीद का द्वितीय कारणपृच्छा (स्पष्टीकरण) असंतोषप्रद एवं तथ्यहीन पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी मो0 रसीद के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाते हुए जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा ज्ञापांक 551–2 जि0 पं0 दिनांक 28.05.2012 द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया–

1. मो0 रसीद पंचायत सचिव को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय में दर्ज उपस्थिति के आधार पर मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
2. मो0 रसीद को नियुक्ति वेतनमान में अवनत किया जाता है तथा अगले पॉच वर्ष तक कोई भी वेतन वृद्धि अथवा प्रोन्नति देय नहीं होगा।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा मो0 रसीद पंचायत सचिव के सेवापुस्त में उपरोक्त अधिरोपित दंड प्रविष्ट कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

उक्त दंड की सूचना आरोपी मो0 रसीद सहित संबंधित पदाधिकारी को संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी मो0 रसीद द्वारा इस न्यायालय में सेवा अपील वाद दायर कर अनुतोष की मांग किये है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी अपना कार्य पंचायत सचिव के हैसियत से ठीक ढंग से संपादित कर रहे थे वो ऑगनबाड़ी केन्द्र सख्या 55 पर सेविका के चयन में आवेदिका के साथ मुखिया ,बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आम सभा में उपस्थित थी । उक्त आम सभा में प्रथम स्थान पर निभा कुमारी पति सुरेश ठाकुर एवं सुनिता कुमारी दूसरे स्थान थी। निभा कुमारी के पति श्री सुरेश ठाकुर के सरकारी सेवा में रहने के कारण दूसरे स्थान पर की आवेदिका सुनिता कुमारी का चयन सरकारी नियमानुसार किया गया। इस संबध मे निभा कुमारी द्वारा एक शिकायत पत्र जिला पदाधिकारी ,सुपौल के दिया गया। जिला पदाधिकारी ,सुपौल द्वारा उक्त शिकायत पत्र पर प्रखंड विकास पदाधिकारी,राधोपुर को जॉच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर के माध्यम से भेजने का आदेश दिया गया । अपीताथी द्वारा यह कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, राधोपुर द्वारा बिना तथ्यों की गहराई से जॉच किये अपना जॉच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी ,वीरपुर को समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा अपने पत्रांक 212–2 दिनांक 02.09.11 द्वारा आरोपी पर विभागीय कार्यवाही संचालन करने एवं कारण पृच्छा मॉगने का आदेश दिया गया । जबतक आरोपी द्वारा कारण पृच्छा अनुमंडल पदाधिकारी,वीरपुर को दिया जाता उसके पहले ही अनुमंडल पदाधिकारी,वीरपुर द्वारा जिला पदाधिकारी,सुपौल को विभागीय कार्यवाही संचालन कर अपने मंतव्य के साथ जॉच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी करते हैं कि जिला पदाधिकारी ,सुपौल द्वारा आरोपी के कारण पृच्छा को बिना देखे एवं सुने अपीलार्थी को कठोर दंड संबंधी आदेश पारित कर दिया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या 55 पर सेविका के चयन हेतु दिनरांक 23.02.2008 को विभागीय निदेश के आलोक में आहूत की गयी थी लेकिन कोरम के पूर्ण नहीं होने की स्थिति में दिनांक 09.03.2008 को आम सभा हुई उक्त आम सभा में निभा कुमारी को प्रथम स्थान एवं सुनिता कुमारी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ लेकिन निभा कुमारी के पति सरकारी सेवा में कार्यरत रहने के कारण चयन नहीं किया गया। जो विभागीय निर्देश

के अनुरूप किया गया है । दिनांक 17.07.2009 को जिला पदाधिकारी द्वारा इसकी जॉच किया गया लेकिन अरोपी उपस्थित नही हो सके । पुनः दिनांक 27.07.09 को जॉच हेतु तिथि निर्धारित किया गया उक्त तिथि को अपीलार्थी उपस्थित होकर सभी कागजात एवं दस्तावेज समर्पित किया। उसके उपरांत भी जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा उक्त आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है बतलाते हैं।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में सरकार के पक्ष में कथन करते हुए जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा अपीलार्थी मो0 रसीद के विरूद्ध पारित आदेश को न्यायोचित बतलाते हैं।

उभय पक्षों को सूना । अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि विभागीय कार्यवाही संचालन कर, अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं होता है । अस्तु अपील वाद खारिज। इसी के साथ अपील वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा